an>

Title: Need to provide special package to the farmers in Osmanabad Parliamentary Constituency of Maharashtra.

प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़ (उस्मानाबाद) : माननीय अध्यक्ष जी, पिछले तीन साल से मेरा उस्मानाबाद जिला सूखाग्रस्त है। पिछले एक साल में मेरे जिले में कम से कम सौ से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। किसानों की आत्महत्या करने की वजह सिंचाई के लिए पानी का नहीं होना है। अभी पीने के लिए भी पानी नहीं है। पिछले साल जो टैंकर चालू किये गये थे, वे चालू हैं और उसकी संख्या बढ़ गई है। ऐसे में किसानों ने पिछले साल जो गन्ना चीनी मिलों में दिया था, उनको जो पेमेंट देना चाहिए था, वह दिया नहीं है। दो मिलों ने एक रुपया तक पेमेंट नहीं किया है। इसी के कारण हमारे महाराष्ट्र में और मराठवाड़ा में किसानों की आत्महत्या की संख्या बढ़ चुकी है। अगर सरकार इसको रोकना चाहती है तो चीनी मिलों पर बंधन डालना चाहिए। यदि एकाध किसान आत्महत्या करता है तो कलैक्टर ऑफिस से उसको एक लाख या दो लाख रुपया मुआवजा मिलता है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि एकाध किसान यदि आत्महत्या करता है तो कलैक्टर के पास फाइल करना पड़ता है। कलैक्टर उसकी जांच करता है और फाइल रिजेक्ट करता है। जब किसान आत्महत्या करता है तो उसके गांव में गांव का सरपंच, ग्राम सेवक, गांवों के पांच पंचों के समक्ष पुलिस का पंचनामा किया जाता है। उसके बाद डॉक्टर पोस्टमार्टम करता है। उसके बाद डैथ डिक्लेअर हो जाती है। उसके बाद एक महीने तक पर्चियां लेकर कलैक्टर ऑफिस में दुखी कुटुम्ब घूमता रहता है और फिर कलैक्टर बोलता है कि यह फाइल रिजेक्ट है।

13.00 hrs.

अध्यक्ष जी, जिसके घर का कमाऊ आदमी मर गया, उसके घर के सभी लोग दुखी हैं। दुखी परिवार के लोगों को महीनों कलेक्टर आफिस के चक्कर मारने पड़ते हैं। क्या सरपंच, तहसीलदार, पुलिस, डाक्टर आदि पर भरोसा नहीं है। उनकी फाइल रिजेक्ट कर दी जाती है। मेरा मानना है कि अगर किसी किसान ने आत्महत्या की है तो सहानुभूतिपूर्वक कलेक्टर को उसके घर जा कर दो लाख रुपयों का मुआवजा देना चाहिए।

मैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र शासन को कहना चाहता हूं कि दुखी कुटुम्ब के आंसू पौंछने का काम करना चाहिए। चाहे बैंक हों या चीनी मिलें हों, इनकी वजह से भी किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। इनके ऊपर भी सख्त कार्यवाही करने की जरूरत है।

माननीय अध्यक्ष :

श्री राहुल शेवाले और

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे को प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़ द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।